

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
पत्रांक- ३०१८ / ११-सी-फ्प/उथर्स/३०१८२/२०१७, लंखनऊ, दिनांक: मई ०५, २०१८

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
महोबा वन प्रभाग,
महोबा।

विषय:- जनपद-महोबा में, बांदा-झांसी मार्ग (मिर्जापुर-झांसी मार्ग) राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-७६ (एन०एच०-३४) के किमी० सं०-१७५ के बांधी पटरी पर ग्राम-कबरई के गाटा सं०-१६०४ पर विकसित किये जा रहे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिंग द्वारा रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु ०.२८५८१ हेतु ० संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं ०५ वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- वन संरक्षक, चित्रकूटधाम वृत्त, बांदा का पत्रांक-५०३८/३३-१, दिनांक ०३.०५.२०१८
महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त विषयगत प्रस्ताव का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव में निम्नलिखित कमियों/अभिलेखों का आभाव पाया गया:-

- भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है किन्तु प्रमाण पत्र में दांधी तरफ का उल्लेख किया गया है, जबकि अन्य प्रमाण पत्रों में बांधी तरफ का उल्लेख है। अतः इस रिपोर्ट को स्पष्ट कर उपरोक्त प्रमाण पत्र संलग्न करें।
- पृष्ठ सं०-२९ पर संलग्न Area Calculation पर प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर अंकित नहीं है।
- प्रस्तावित परियोजना वनभूमि में प्रस्तावित करने का औचित्य (जरिटिफिकेशन नोट) प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।
- वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन भारत सरकार द्वारा लगाई गयी संयुक्त मानक शर्तों के मान्य होने का प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।
- प्रस्तावित वनभूमि का Geo Referenced Digital Map संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर अंकित नहीं है तथा उक्त के अतिरिक्त क०एम०एल० फाइल शैप की सी०डी० संलग्न नहीं है।
- क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अंतर्गत १०० वृक्षों के स्थान पर केवल १० पौधों के वृक्षारोपण का प्राक्कलन संलग्न है जोकि अपूर्ण है। अतः १०० पौधों का वृक्षारोपण एवं १० वर्षों का अनुरक्षण सहित विस्तृत प्राक्कलन संलग्न करते हुये ऑनलाइन भाग-२ में अपलोड करें।
- क्षतिपूरक वृक्षारोपण पर होने वाले व्यय वहन से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।
- क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में नहीं है तथा प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर भी अंकित नहीं है।
- प्रस्तावित वनभूमि का शुद्ध वर्तमान भूल्य जमा किये जाने की वचनबद्धता संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।
- एन०पी०वी० एवं एन०पी०वी० की धनराशि गें डडोत्तरी के उपरांत बढ़ी धनराशि के जमा किये जाने की वचनबद्धता संलग्न है, किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।
- इको बलास के अनुसार एन०पी०वी० की गणना संलग्न है, किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर अंकित नहीं है।
- भू-स्वागित्व वाले विभाग (लो.नि.वि.) द्वारा भारत सरकार की गाइड लाइन दिनांक २४.०७.२०१३ के अनुसार अनुमोदित ले आउट प्लान संलग्न नहीं है।
- भारत सरकार के पत्रांक एफ०न०-११-२६८/२०१४-एफ०सी०, दिनांक ११.०७.२०१४ द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप प्रस्ताव तैयार कर आख्या/प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं है।
- वन स्वरूप चिन्हित क्षेत्र इस प्रस्ताव में सम्मिलित न होने का प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु उस पर प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर अंकित नहीं है।
- गजट नोटिफिकेशन की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर अंकित नहीं है।
- परियोजना से १० किमी० की परिधि में विजय सागर बन्धजीव विहार रिस्त छोड़ने का उल्लेख है। अतः यदि प्रस्तावित स्थल Eco Sensitive Zone की परिधि के अंदर स्थित है तो राज्य बन्धजीव बोर्ड/राष्ट्रीय बन्धजीव बोर्ड से अनुमति हेतु प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बन्धजीव, उ०प्र०, लखनऊ के कार्यालय में उपलब्ध कराते हुये पावती सहित एक प्रति प्रस्ताव में संलग्न करें तथा यदि प्रस्तावित स्थल Eco Sensitive Zone की परिधि के बाहर है तो इसकी आवश्यकता नहीं है।
- मलवा उत्सर्जन संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।
- प्रस्ताव की हार्ड कापी भाग-२ के क्रमांक-७(९) में त्रुटिपूर्ण डाटा फील किया गया है। अतः ऑनलाइन के अनुसार उपरित विवरण अंकित करें।

19. प्रस्ताव की हार्ड कापी भाग-2 के क्रमांक-10(4) में प्रतिपूरक रकीम के लिए वित्तीय परिव्यय त्रुटिपूर्ण अंकित की गयी है।
20. प्रस्ताव में संलग्न प्रगाण पत्रों में कहीं पर दोंयी पटरी, कहीं पर बांयी पटरी एवं कहीं कहीं पर RHS एवं बांयी पटरी अंकित किया गया है जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः एक समान उचित विवरण सभी प्रगाण पत्रों में अंकित करें।
21. प्रस्ताव में संलग्न पृष्ठ सं0-44, 52, 54 एवं अन्य अधिकांश प्रगाण पत्रों पर प्रभागीय चनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं।
22. प्रभागीय चनाधिकारी के संस्तुति का हिन्दी वर्जन का भाग-2 एवं वन संरक्षक के संस्तुति का हिन्दी वर्जन का भाग-3 ऑनलाइन अपलोड नहीं है।
अतः उपरोक्त इगित कमियों का निश्चिरण कर, सम्बन्धित अभिलेखों को प्रस्ताव में संलग्न करते हुए संशोधित प्रस्ताव की 03 प्रतियों तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। प्रस्ताव की 03 मूल प्रतियों इस कार्यालय से अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

भवदीय

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
Acy ८०प्र०, लखनऊ।

संख्या—३४५/११-सी—FP/UP/Others/30182/2017, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वन संरक्षक, वित्रकूटधाम वृत्त, बांदा।
2. रूप खुल्बे, वाइस प्रेसीडेंट, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिं. लखनऊ।

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
Acy ८०प्र०, लखनऊ।

महत्वपूर्ण/अति आवश्यक/तत्काल

कार्यालय वन संरक्षक, वित्रकूट धाम वृत्त, बांदा।

प्राप्तिलिपि—५३१) / ३३-१/ दिनांक वांदा अर्द्ध, १६, २०१८

प्राप्तिलिपि—प्राप्तिलिपि वन संरक्षक अहीं वन मुख्य प्रदीपा का
इस आशय से बाबित कि उपरोक्त डोग्री लाइनों का निराकरण
कर, सरकारी अधिकारियों को प्रस्ताव के संलग्न अर्थे इस
संशोधित प्रस्ताव की ०१ (एक) में "उक्तल इस लाइनों का
उपरोक्त नियन्त्रण द्वारा दिया जाए।" अतः वित्रकूट धाम की पहले
०३ शूल छालीय उपल वन संरक्षक/नोडल अधिकारी ३० अ०
तत्काल अधिकारी से उपरोक्त लाइनों का नियन्त्रण के
पालन करना सुनिश्चित करें।



वन संरक्षक
वित्रकूटधाम वृत्त, बांदा

४३६